न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:— राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :— 276/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2024/467

प्रार्थी बनाम विप्रार्थीगण

1.किशनलाल पुत्र गोड़ाराम
2.भंवरलाल पुत्र गोड़ाराम
3.बगताराम पुत्र गोड़ाराम
जाति पालीवाल निवासी हेमपुरा
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

1.तेणीदान पुत्र पेमाराम
2.केवलचन्द पुत्र गंगाराम
3.डूगरचंद उर्फ डूगराराम पुत्र गंगाराम
जाति पालीवाल निवासी भांडियावास
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
4.बालीदेवी पत्नी धनाराम जाति जाट
निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा
5.शंकरलाल पुत्र गंगाराम
6.सोहनीदेवी पत्नी शंकरलाल
7.बलकीदेवी पत्नी राधेश्याम
8.दिनेशकुमार पुत्र रमेशकुमार
9.मांगीदेवी पत्नी रमेशकुमार
10.अशोककुमार पुत्र पुनमचंद
11.बाबुलाल पुत्र पुनमचंद
12.भूराराम पुत्र पुनमचंद
13.पेमाराम पुत्र पेमाराम जाति पालीवाल
निवासी भांडियावास तहसील पचपदरा
14.जयनारायण पुत्र जेठाराम
15.नवलीदेवी पत्नी जेठाराम जाति जाट
निवासी बाहम्रण निवासी माडपुरा बरवाला
16.नर्मदादेवी पत्नी लेखराम
17.राधेश्याम पुत्र लेखराम जाति बाहम्रण
निवासी भांडियावास तहसील पचपदरा
18.ओमप्रकाश पुत्र लालूराम उर्फ
लालचंन्द
19.प्रतापराम पुत्र लालूराम उर्फ लालचन्द
जाति पालीवाल निवासी भांडियावास
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
20. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
पचपदरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:00:43 IST
Reason: Self Attested

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति-

1. श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थीगण एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 18.7.24

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम हेमपुरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1018/67,1022/69,1027/70,1044/101 व खसरा संख्या 63 कुल क्षेत्रफल 15.5157 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थी द्वारा ग्राम हेमपुरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1018/67,1022/69,1027/70,1044/101 व खसरा संख्या 63 कुल क्षेत्रफल 15.5157 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम हेमपुरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1018/67,1022/69,1027/70,1044/101 व खसरा संख्या 63 कुल क्षेत्रफल 15.5157 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है। अन्त मे निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम हेमपुरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1018/67,1022/69,1027/70,1044/101 व खसरा संख्या 63 कुल क्षेत्रफल 15.5157 हैक्टयर भूमि की नेखमबंदी के आदेश किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:00:43 IST
Reason: SelfAttested

4.हमनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम हेमपुरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1018/67,1022/69,1027/70,1044/101 व खसरा संख्या 63 कुल क्षेत्रफल 15.5157 हैक्टयर भूमि

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होते है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–धारा 128 सीमा विवाद–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें: 1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 15.6.2023 अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं को लेकर विवाद है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में निहित प्रावधानो के तहत हस्तगत प्रकरण का निस्तारण न्यायालय हाजा से ही किया जाना है। विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस के उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किए जाने पर विप्रार्थी को आपति नहीं है। यदि होती तो उजर–एतराज पेश करते,लेकिन ऐसा विप्रार्थी द्वारा नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण अधिवक्ता अपने आवेदन पत्र को बखूबी साबित करने में सफल रहा है।

6.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किए जाते है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 मे विहित प्रक्रिया के अनुसरण में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम हेमपुरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1018/67,1022/69,1027/70,1044/101 व खसरा संख्या 63 कुल क्षेत्रफल 15.5157 हैक्टेयर भूमि की सीमाज्ञान करवाकर नेखम स्थापित करें। उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1000/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगें। यदि विवाद हो,तो पालना रिपोर्ट पेश करे। पत्रावली इसी कदर नि[illegible] हो[illegible] संख्या से एक कम होकर दाखिल दफतर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:00:43 IST
Reason: SelfAttested

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 18·7·24 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा